छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग

द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़
दूरभाष क्रमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax) email- dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक/11542/मबावि/आईसीपीएस/2020–21 नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स (CHiPS),
रायपुर, (छत्तीसगढ़)

विषय :– एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत वितीय वर्ष 2020–21 का राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति के वैधानिक अंकेक्षण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन वेबसाईट में अपलोड करने विषयक।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 का राज्य बाल संरक्षण समिति एवं समस्त जिलों के जिला बाल संरक्षण समितियों का वित्तीय अंकेक्षण सनदी लेखाकार/सनदी लेखाकार फर्म से कराये जाने हेतु निर्धारित अर्हता/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से दिनांक 15.04.2021 तक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना है। अतः रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का प्रस्ताव प्रारूप **www.cgstate.gov.in एवं www.cgwcd.gov.in** वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :–रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का प्रस्ताव।

15/03/21

(दिव्या ~~उमेश~~ मिश्रा)
संचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास विभाग एवं
सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग

ब्लॉक–01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा–रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 0771–2234192, 2234188, Email: scpscg04ac@gmail.com

विज्ञप्ति क्रमांक.....11443..... **दिनांक**..16/03/2021

रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 का वैधानिक अंकेक्षण कराये जाने हेतु सनदी लेखाकार फर्मो से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। पात्र फर्म/संस्था निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते है। प्रपत्र एवं नियम शर्ते विभाग की अधिकारिक Website- **www.cgstate.gov.in** एवं **www.cgwcd.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है। इच्छुक सनदी लेखाकार निर्धारित प्रपत्र में रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव संचालक, महिला एवं बाल विकास पदेन सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति, ब्लॉक–01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा–रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमानत राशि रूपये 20000/– (रिफंडेबल) तथा आवेदन शुल्क रूपये 1000/– के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (नॉन रिफंडेबल) जो कि अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति के नाम से देय होंगे, के साथ सीलबंद लिफाफे में जमा कर सकते है। शर्तो में उल्लेखित अभिलेखों एवं जमानत राशि जमा नही किये जाने की स्थिति में प्रस्ताव मान्य नहीं किये जायेंगे। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "आईसीपीएस के वैधानिक अंकेक्षण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव वर्ष 2020–21" अंकित होना चाहिए।

1. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि – 15.04.2021 समय – 3:00 बजे अपरान्ह
2. प्रस्ताव खोलने की तिथि – 16.04.2021 समय – 12:00 बजे पूर्वान्ह

संचालक
महिला एवं बाल विकास
पदेन सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
छत्तीसगढ़ रायपुर

रूचि की अभिव्यक्ति संबधी नियम–शर्ते

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का उद्देश्य है बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना जिसकी अवधारणा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में दी गई है ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास और कल्याण अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सकें।

सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य बाल संरक्षण समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति का कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग ब्लॉक–01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा–रायपुर (छ.ग.) में स्थित है।

राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति गठित है जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना का कियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है।

1. अंकेक्षण कार्य

फर्म को निम्नलिखित कार्य करने होंगे–

(i). वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 27 जिला बाल संरक्षण समितियों का वैधानिक अंकेक्षण एवं उपरोक्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों का समेकन करते हुए राज्य बाल संरक्षण समिति का वैधानिक अंकेक्षण।

(ii). राज्य बाल संरक्षण समिति एवं 27 जिला बाल संरक्षण समितियों की बैलेंस शीट, आय व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, बैक समाधान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना/सत्यापन करना।

(iii). भारत शासन को भेजे जाने वाले राज्य बाल संरक्षण समिति के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तैयार करना/सत्यापन करना।

(iv). एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिलो में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तथा बिल वाउचर इत्यादि का एकीकृत बाल संरक्षण योजना के गाईड लाईन में निर्धारित मापदंडो के अनुसार मिलान/सत्यापन करना।

(v). वैधानिक अंकेक्षण पूर्ण होने के बाद, अंकेक्षण टीप/पृच्छाओं पर संबंधित प्रभारी अधिकारी से चर्चा एवं कार्यवाही बिन्दुओं पर अनुपालन उपरांत अंतिम वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना।

(vi). महालेखाकार छत्तीसगढ़ की टिप्पणियो के अनुपालन में उत्तर तैयार करना।

(vii).छत्तीसगढ राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी समिति/आमसभा में ऑडिट रिर्पोट का प्रस्तुतीकरण।

अंकेक्षण कार्य के दायरे में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

01. निधि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस हेतु दिया गया है एवं व्यय/उपयोग समस्त वित्तीय मापदण्डों का पालन करते हुए मितव्ययिता एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

02. निधि के उपयोग में भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सुसंगत निर्देशो का पालन किया गया है।

03. कार्यक्रम में किये गये व्यय को समर्थित करते हुए समस्त दस्तावेज व अभिलेख संस्था में रखे गये है एवं अभिलेख व्यय से संबद्ध है।

2. **अंकेक्षण कार्य स्थल**

समस्त अंकेक्षण कार्य राज्य बाल संरक्षण समिति के इंद्रावती भवन अटल नगर, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में करना होगा। अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है कि अंकेक्षण हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख कार्यालय से बाहर उपलब्ध नहीं कराये जायेगें और न ही आडिट हेतु आदेशित संस्था को बाध्य किया जाएगा।

3. **अंकेक्षण हेतु समय सीमा**

(i). राज्य बाल संरक्षण समिति एवं 27 जिला बाल संरक्षण समितियों की प्रारूप बैलेंस शीट, आय व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, बैक समाधान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भारत शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एव व्यय विवरण दिनांक 31 मई 2021 तक प्रस्तुत करना होगा।

(ii). सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित अंकेक्षण प्रतिवेदन 4 प्रतियों में, साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदन की सॉफ्ट कॉपी Email पर एवं एक सी डी में दिनांक 15 जून 2021 तक राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करना होगा।

4. **अंकेक्षण निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने की स्थिति में पेनाल्टी**

अंकेंक्षण के संबंध में सभी अद्यतन जानकारी प्रदान करने के बावजूद, अंकेक्षक/फर्म यदि नियत तिथि तक राज्य बाल संरक्षण समिति को आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नही करता है तो सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्य बाल संरक्षण समिति, देय शुल्क पर प्रतिमाह 5% की दर से कटौती की जायेगी। निर्धारित तिथि से तीन माह तक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए अंकेक्षण का कार्य वापस लिया जा सकेगा। साथ ही फर्म को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा। हालाँकि आपदा जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के मामले में यह लागू नही होगा।

7. **फर्म/संस्था के लिए पात्रता –**

(i) अंकेक्षक का चयन सनदी लेखाकार फर्म के पास उपलब्ध क्षमता एवं संसाधनों के आधार पर गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित चयन के आधार पर किया जावेगा।

(ii) सनदी लेखाकार फर्म के पास शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों/बैंकों/स्वायत्तशासी निकायों के वैधानिक अंकेक्षण/आंतरिक अंकेक्षण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रारूप– B1

(iii) फर्म का नाम भारत के महालेखाकार/महालेखाकार छत्तीसगढ़ की विगत 3 वर्षो की पैनल सूची में सम्मिलित होना चाहिए।

(iv) अंकेक्षक/सनदी लेखाकार फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

(v) ऐसी सनदी लेखाकार फर्म जो कण्डिका (vi) में उल्लेखित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करती है वही आवेदन कर सकती है। इस संबंध में फर्म को वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

(vi) तकनीकी मूल्यांकन का आधार–

	मापदण्ड	न्यूनतम अर्हता	अंक प्रणाली	अधिकतम अंक	वांछित आलेख
1	फर्म की स्थापना का वर्ष तथा ICAI की सदस्यता	10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष पर एक अंक	10	ICAI द्वारा जारी संस्थापन प्रमाण पत्र (Certificate of constitution) दि. 01.01. 2021 की स्थिति में

2	फर्म मे प्रोपराईटर/ भागीदारों/CA की संख्या फर्म में पूर्णकालिक सी.ए. विगत 3 वर्ष से भागीदार हो जो आईसीएआई के सदस्य हो।	1 FCA	प्रत्येक अतिरिक्त FCA पर 2 अंक प्रत्येक ACA पर 1 अंक	10	प्रारूप "A"
3	फर्म के पिछले 3 वर्ष का औसत Turnover (2017-18, 2018-19, 2019-20)	रू. 20 लाख	रू. 20 लाख के से अधिक प्रत्येक पूर्ण पांच लाख रू. पर 1 अंक	25	पिछले 3 वर्ष का पूर्ण अंकेक्षित लेखांकन प्रतिवेदन एवं आयकर विवरणी
4	फर्म का पिछले 3 वर्षो का केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित /पोषित योजनाओं का छत्तीसगढ़ में अनुभव (ऐसे कार्य जिनसे प्राप्त शुल्क प्रति कार्य रू. 50000/– या अधिक हो)	5 असाईनमेंट	5 से अधिक प्रत्येक कार्य पर 1 अंक	35	कार्यादेश की स्व प्रमाणित प्रति एवं सूची प्रारूप " B-2"
5	राज्य में कार्यालयों की संख्या	छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधान कार्यालय	राज्य में प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक कार्यालय = 4 अंक	12	ICAI द्वारा जारी संस्थापन प्रमाण पत्र (Certificate of constitution) **प्रारूप C**
6	फर्म में कार्यरत कुशल कर्मचारियों की संख्या	03	03 के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी के 1 अंक	8	शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं संलग्न सूची (कुशल अर्थात वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर या सी.ए. फाइनल में अध्ययनरत)

(vii) निविदाकर्ता को निम्नलिखित अभिलेखों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा–

(a) Latest Certificate of Constitution
(b) Pan Card
(c) CAG Registration
(d) Audit reports and Audited Financial Statements for last 3 Financial years or CA Certificate
(e) IT return filed by firm for last 3 year
(f) Latest IT return of all partners/proprietor
(g) Self attested copy of Work order
(h) GST Registration
(i) Membership Certificate of practice
(j) Undertaking to be furnished by the firm that there are no legal suit criminal case pending against the firm and its partner or having not been earlier convicted/debarred/blacklisted.
(k) Partnership deed in case of firms in Annexure – A
(l) Details of Statutory Audit Work/Assignments of Government/Semi Government/PSU/Bank/ Autonomous Bodies in Annexure – B 1

(m) Details of Statutory Audit Work/Assignments of Central/State Government funded schemes in Chhattisgarh in Annexure – B 2

(n) Details of the Branch Office in Annexure – C

(o) Undertaking in Annexure -D

8. अन्य दिशा निर्देश

(i). अंकेक्षक/फर्म, शासकीय/अर्धशासकीय/बैंक आदि द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होने चाहिए तथा फर्म पर कोई कानूनी मुकदमा/आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। फर्म और उसके साझेदारों को पूर्व में कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो। इस हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

(ii). नर्धारित प्रपत्र के साथ जमानत राशि रूपये 20000/– (रिफंडेबल) तथा आवेदन शुल्क रूपये 1000/– (नॉन रिफंडेबल) के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति के नाम से देय होंगे, के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii). अंकेक्षक/फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्ताव में सम्मिलित सभी प्रपत्रों एवं परिशिष्टों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा।

(iv). वित्तीय प्रस्ताव में राज्य बाल संरक्षण समिति एवं 27 जिला बाल संरक्षण समिति के लिए पृथक–पृथक दर (ऑडिट शुल्क) का उल्लेख करना होगा।

(v). राज्य एवं जिला बाल संरक्षण समिति का प्रारूप अंकेक्षण प्रतिवेदन पहले संबंधित समिति को देना होगा जिसकी समीक्षा उपरांत सनदी लेखाकार द्वारा अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाऐगा।

9. (i) सनदी लेखाकार फर्म द्वारा अपने पत्र शीर्ष में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के पृथक–पृथक सील बंद लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत किये जायेंगे। बड़े लिफाफे के ऊपर "आईसीपीएस के वैधानिक अंकेक्षण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव वर्ष 2020–21" तथा उसके अंदर सील बंद लिफाफो के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकी अथवा वित्तीय प्रस्ताव अंकित होगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, खुले प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदन टंकित/लिखित तथा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। सभी प्रविष्टियां सुस्पष्ट, सुपाठ्य तथा कांट–छाट रहित होनी चाहिए। यदि जानकारी के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता हो तो अधिकृत हस्ताक्षकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पृथक शीट संलग्न की जा सकती है।

(ii) लिफाफा कं 1 में तकनीकी प्रस्ताव होगा जिसमें उल्लेखित आवेदन प्रारूप, समस्त अभिलेख एवं जमानत राशि रूपये 20000/– तथा आवेदन शुल्क रूपये 1000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक होगा। लिफाफा कं 2 में वित्तीय प्रस्ताव होगा।

(iii). सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव खोला जावेगा। वांछित जानकारी/अभिलेख, जमानत राशि तथा आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न नहीं होने पर वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जायेंगे। अर्थात फर्म को रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने के लिए पात्र नही माना जावेगा।

(iv) ऐसे आवेदक जिनका तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्तांक 70 या उससे अधिक है उन्ही का वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा। कार्य न्यूनतम दर वाले आवेदक को दिया जाएगा।

(v). यदि दो या अधिक फर्मो के अंक समान होते है तो चयन तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्तांक पर किया जावेगा। यह भी समान होने पर सबसे पुरानी फर्म/अनुभवी फर्म का चयन किया जायेगा।

10. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2021 एवं समय 3:00 अपरान्ह होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. प्रस्ताव पर विचार हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित आवेदित फर्मो के समक्ष प्रस्तावों के लिफाफे खोले जायेंगे। आवेदित फर्मो से इस विषय में पृथक से पत्राचार नही किया जावेगा। किसी फर्म के उपस्थित नहीं रहने पर कार्यवाही यथावत रहेगी।
12. तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने पर संबंधित फर्मो द्वारा प्रस्तुत आवेदन में त्रुटि/विवाद (जैसे – शब्दावली या अंकीय त्रुटि आदि) की स्थिति में उल्लेखित समिति का निर्णय मान्य किया जावेगा।
13. अंकेक्षण हेतु न्यूनतम शुल्क निम्नानुसार है :–

राशि रूपये

क्र.	कार्यालय	न्यूनतम शुल्क
1	राज्य बाल संरक्षण समिति	10500 रू. प्रति वर्ष
2	जिला बाल संरक्षण समिति	3100 रू. प्रति जिला प्रति वर्ष

14. चयनित सनदी लेखाकार/सनदी लेखाकार फर्म को संचालक महिला एवं बाल विकास पदेन सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति के साथ 50 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
15. रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण कार्यवाही को किसी भी समय/स्तर पर निरस्त करने का अधिकार संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति को होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति से निराकरण कराये बिना वाद न्यायालय में नही ले जाया जा सकेगा।
18. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में वाद क्षेत्र रायपुर होगा।

संचालक
महिला एवं बाल विकास
पदेन सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
छत्तीसगढ़ रायपुर

आवेदन प्रारूप

एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 का वैधानिक अंकेक्षण कराये जाने हेतु सनदी लेखाकार फर्मो से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण हेतु आवदेन

आवश्यक अभिलेख / दस्तावेज (लिफाफा क्रमांक – 1 में सीलबंद किया जावें)

क्र	Particulars	Attachments No.
1	फर्म का नाम	
2	रजिस्टर्ड पता	
3	दूरभाष कमांक एवं ईमेल पता	
4	ICAI द्वारा जारी पंजीयन कमांक	
5	फर्म की स्थापना का दिनांक	
6	GST पंजीयन कमांक	
7	PAN NO.	
8	FCA साझेदारों की संख्या	
9	Audit reports and Audited Financial Statements for last 3 Financial years or CA Certificate (Year 2017-18, 2018-19, 2019-20)	
10	CAG Registration	
11	IT return filed by firm for last 3 year	
12	Latest IT return of all partners/ proprietors	
13	अनुभव से सम्बंधित विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य आदेश की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित)	
14	Membership Certificate of practice	
15	Undertaking to be furnished by the firm that there are no legal suit criminal case pending against the firm and its partner or having not been earlier convicted/debarred/blacklisted.	
16	Partnership Deed in case of firms in Annexure – A	
17	Details of Statutory Audit Work/Assignments of Government/Semi Government/PSU/Bank/Autonomous Bodies in Annexure – B 1	
18	Details of Statutory Audit Work/Assignments of Central/State Government funded Schemes in Chhattisgarh in Annexure – B 2	
19	Details of the Branch Office in Annexure – C	
20	Undertaking in Annexure –D	
21	जमानत राशि रूपये 20000 / – के बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक	
22	आवेदन शुल्क रूपये 1000 / – के बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक	

स्थान :–
दिनांक :–

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर.....
नाम / पदनाम.....
अंकेक्षक / फर्म.....
सील / हस्ताक्षर

प्रपत्र 2 वित्तीय प्रस्ताव (लिफाफा क्रमांक –2 में सीलबंद किया जावे)

1. सनदी लेखाकार/सनदी लेखाकार फर्म का नाम.....
2. कार्यालय का पता
   (मोबाईल नंबर, दूरभाष नम्बर, ईमेल सहित)
   .....
   .....
   .....
3. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद.....

स. क्र.	संस्था	आडिट शुल्क की राशि		
		दर	टैक्स	कुल
1	राज्य बाल संरक्षण समिति के लिए			
2	27 जिला बाल संरक्षण समिति के लिए (प्रति जिला)			

स्थान :–
दिनांक :–

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर.....
नाम/पदनाम.....
सनदी लेखाकार/सनदी लेखाकार फर्म.....
सील/हस्ताक्षर

(On Firm's Letter Head)

Annexure-A

Details of Full Time Partners of the firm:

Sl. NO	Name of the Partner	Membership No.	Whether FCA /ACA	Date of joining the firm (Full time)	Station & Region Where residing at present

(Signature of Authorized Person with Seal of the firm)

Place:

Date:

(On Firm's Letter Head)

Annexure-C

Particulars of Branches (including branches in other States, if any):

Sl. No	Station at which located	Complete address with PIN CODE & Telephone No.	Name of the partner in charge of the branch	Date of opening of the branch	Region

(Signature of Authorized Person with Seal of the firm)

Place:

Date:

(On firms Letter Head)

Annexure-B-1

Details of Statutory Audit Work/Assignments of Government/Semi Government/ PSU/Bank/Autonomous Bodies etc. in the last five years as on 31.03.2020

Name of the client	Statutory Audit Year	Annexure number
Central/ State Government Department:		
1.		
2.		
3.		
4.		
Bank Audit:		
1.		
2.		
3.		
4.		
Public Sector Unit:		
1.		
2.		
3.		
4.		
Autonomous Bodies:		
1.		
2.		
3.		
4.		
Others:		
1.		
2.		
3.		
4.		

Note: - The self attested copies of appointment letters/ work orders must be enclosed as supporting documents.

(Signature of Authorized Person with Seal of the Firm)

Place:

Date:

(On firms Letter Head)

Annexure-B-2

Details of Statutory Audit Work/Assignments of Central/State Government funded Schemes in Chhattisgarh in the last three years as on 31.03.2020

Central/ State Government	Name of the Department	Name of the scheme	Statutory Audit Year	Annexure number
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Note: - The self attested copy of appointment letters/ work orders must be enclosed as supporting documents.

(Signature of Authorized Person with Seal of the Firm)

Place:

Date:

(On firm's Letter Head)

Annexure-D

UNDERTAKING

I/We the following partner/s of M/s. ---------- Chartered Accountant/s do hereby individually/jointly and severely verify and declare-

i. that the particulars given are complete and correct and that if any of the statements made or the information so furnished in the application form is later found not correct or false or there has been suppression of material information, the firm would not only stand disqualified from allotment but would be liable for disciplinary action under the Charted Accountants Act, 1949 and the regulations farmed there under;

ii. that the firm, or partners has not been debarred or cautioned by ICAI during the last five years, (if debarred, give details);

iii. that individually we are not engaged in practice otherwise or in any other activity which would be deemed to be in practice under section 2(2) of the Chartered Accountant Act, 1949;

iv. that I/we not Sub-let work to any other Firm/Person.

v. that I/we abide to all auditing standard applicable for the Audit by ICAI.

vi. that the constitution of the firm as on 1st January 2021 of the relevant year shown is same as that in the constitution certificate issued by the ICAI.

S.No	Name of the Partner	Membership Registration No.	PAN. No.	Signature Partner

(Signature of Authorized Person with Seal of the Firm)

Place:

Date: